

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक: 30.06.2009

संख्या 2/टी-26/2009 864(2) /स्वा0 बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है ।

क्रम संख्या	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन का जिला	नवपदस्थापित जिला
1	डा0 इन्द्र कुमार	भागलपुर	खगड़िया
2	डा0 मुरलीधर सिंह	कटिहार	खगड़िया
3	डा0 महेन्द्र चौधरी	बेगूसराय	खगड़िया
4	डा0 रविशंकर झा	भागलपुर	खगड़िया
5	डा0 अरविन्द्र कुमार सिन्हा	बेगूसराय	खगड़िया
6	डा0 जयप्रकाश अग्रवाल		खगड़िया
7	डा0 महेन्द्र पासवान	समस्तीपुर	खगड़िया
8	डा0 विजय कुमार :	भागलपुर	खगड़िया
9	डा0 सचिन्द्र कुमार सिन्हा	बेगूसराय	खगड़िया
10	डा0 नाथु प्रसाद मेहरा	कटिहार	खगड़िया
11	डा0 सुरेन्द्र	बेगूसराय	खगड़िया
12	डा0 विनय कुमार शर्मा	बेगूसराय	खगड़िया
13	डा0 नीलकिशोर तिवारी	बेगूसराय	खगड़िया
14	डा0 शिवराम राय	बेगूसराय	खगड़िया
15	डा0 आनन्द कुमार शर्मा	बेगूसराय	खगड़िया

2.. सम्बन्धित सिविल सर्जन/नियंत्रि पदाधिकारी 15 दिनों के भीतर स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को पदस्थापित स्थान के लिए निश्चित रूप से विरमित कर देंगे और नवपदस्थापित जिले के सिविल सर्जन, विरमित होकर योगदान देने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों का पदस्थापन जिले के अन्तर्गत रिक्त पद के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर निश्चित रूप से कर देंगे ।

3.. अधिसूचित चिकित्सा पदाधिकारी जुलाई माह का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे ।

4.. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति में यह आदेश उनपर लागू नहीं होगा ।

5. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना अवकमित समझी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा0 प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 2/टी-26/2009 864(2) /स्वा0,दिनांक 30.06.2009

प्रतिलिपि : अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, /अवर सचिव वित्त, (बै0दा0नि0 को0) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त /सम्बन्धित जिला पदाधिकारी /सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ /सम्बन्धित असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी /उप महानिरीक्षक अभियोजन बिहार, पटना /सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री /माननीय राज्य मंत्री के आप्त सचिव /प्रधान सचिव के सचिव स्वास्थ्य /निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ /उप सचिव स्वास्थ्य /प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,7,9, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव